भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1873

जिसका उत्तर 11.12.2025 को दिया जाना है

आंध्र प्रदेश में मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क (एमएमएलपी) परियोजनाएं

1873. श्री जी. लक्ष्मीनारायण:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आंध्र प्रदेश में डीपीआर तैयारी, व्यवहार्यता अध्ययन, भूमि अधिग्रहण में प्रगति (अधिसूचित, अधिग्रहित, लंबित), पीपीपी/बोली चरण, कार्यान्वयन एजेंसियां और प्रत्येक स्थान के लिए समय-सीमा के ब्यौरे सहित प्रस्तावित मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क (एमएमएलपी) परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान निर्माण-पूर्व गतिविधियों के लिए अनुमोदन सहित उक्त एमएमएलपी के लिए आवंटित, स्वीकृत, जारी और उपयोग की गई वर्ष-वार और परियोजना-वार कुल धनराशि कितनी है;

(ग) क्या डीपीआर अनुमोदन, भूमि अधिग्रहण, वैधानिक मंजूरी या बोली को अंतिम रूप देने में देरी हुई है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और कौन से सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं; और

(घ) क्या आंध्र प्रदेश में एमएमएलपी की स्थापना या विस्तार के लिए नए प्रस्ताव विचाराधीन हैं और यदि हां, तो उनकी स्थिति क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) आंध्र प्रदेश राज्य के अनंतपुर और विशाखापत्तनम में प्रस्तावित मल्टी मोडल लॉजिस्टिक पार्कों (एमएमएलपी) की स्थिति, जिसमें विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करना, व्यवहार्यता अध्ययन, भूमि अधिग्रहण, बोली लगाना, कार्यान्वयन एजेंसियों और प्रस्तावित एमएमएलपी के लिए समय-सीमा का विवरण शामिल है, **अनुलग्नक-क** में संलग्न है।

(ख) से (ग) चूंकि परियोजनाओं को सरकार द्वारा आज की तारीख तक मंजूरी नहीं दी गई है, इसलिए निधियों का आवंटन और देरी का प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) आंध्र प्रदेश में एमएमएलपी की स्थापना या विस्तार के लिए कोई नया प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

अनुलग्नक-क

"आंध्र प्रदेश में मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क (एमएमएलपी) परियोजनाएं" के संबंध में श्री जी. लक्ष्मीनारायण द्वारा पूछे गए दिनांक 11.12.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1873 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>अवस्थान</th><th>कार्यान्वयन एजेंसी</th><th>भूमि अधिग्रहण की प्रगति</th><th>डी. पी. आर./परियोजना की स्थिति</th><th>मंजूरी/सौंपे जाने/पूरा करने के लिए समय-सीमा</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>अनंतपुर</td><td>एसपीवी में आंध्र प्रदेश औद्योगिक अवसंरचना निगम (एपीआईआईसी) और राष्ट्रीय राजमार्ग रसद प्रबंधन लिमिटेड (एनएचएलएमएल) शामिल हैं</td><td>एपीआईआईसी के पास 204.92 एकड़ भूमि उपलब्ध है।</td><td>डीपीआर पूर्ण; परियोजना मूल्यांकन चरण में है।</td><td rowspan="2">परियोजना को अभी मंजूरी दी जानी है और इसलिए मंजूरी, सौंपे जाने और पूर्णता के लिए समयसीमा बताना संभव नहीं है।</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>विशाखापट्टनम</td><td>एसपीवी में आंध्र प्रदेश औद्योगिक अवसंरचना निगम (एपीआईआईसी) और राष्ट्रीय राजमार्ग रसद प्रबंधन लिमिटेड (एनएचएलएमएल) शामिल हैं</td><td>एपीआईआईसी में पर्याप्त भूमि उपलब्ध है।</td><td>व्यवहार्यता रिपोर्ट/डीपीआर तैयार करने के लिए परामर्शदाता की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है।</td></tr>
</table>

*****